

:: कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) छिन्दवाड़ा म0प्र0 ::

81/3
23/7/21

:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

क्रमांक / 2452 / वनाधिकार / जजाकावि. / 2021:-

छिन्दवाड़ा दिनांक 22/07/2021

1: प्रमाणित किया जाता है कि जिला छिन्दवाड़ा तहसील जुन्नारदेव के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुमकाल ग्राम खुमकाल में स्थित वनभूमि कम्पार्टमेंट 525 रकबा 1.68 हे० (लंबाई 2400 मीटर X चौड़ाई 7.00 मीटर) भूमि में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा द्वारा नवेगांव घानाउमरी मुख्य मार्ग से टेकापार वनग्राम से बरेलीपार मार्ग लम्बाई 4.30 कि.मी. पर सिंगल लेन में डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है। तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

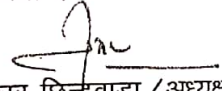
2: अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत खुमकाल ग्राम खुमकाल में स्थित वनभूमि कम्पार्टमेंट 525 रकबा 1.68 हे० (लंबाई 2400 मीटर X चौड़ाई 7.00 मीटर) भूमि में उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नहीं है।

3: यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की प्रतिनिधि ग्राम सभा की बैठक में समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हें स्थानीय भाषा में की चुकी है। कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव से प्राप्त प्रतिवेदन, उपखंड स्तरीय समिति की अनुंशसा, वृक्षारोपण हेतु सहमति पत्र, स्थल निरीक्षण पंचनामा, ग्राम सभा का सहमति पत्र, पंचनामा, ग्राम सभा का प्रस्ताव, प्रपत्र 'क' 'ख' खसरा/नक्शा, स्थल एवं अन्य अभिलेख संलग्न है।

4: प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था।

5: यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) e के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

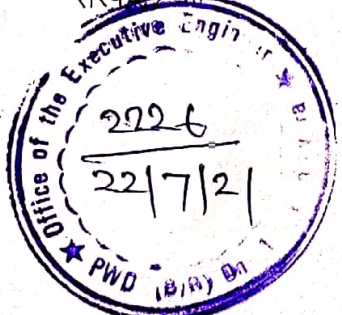
6: यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभा की इसमें सहमति है। अथवा कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है एवं पूर्ण की जावेगी।

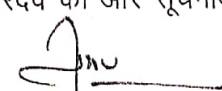

कलेक्टर छिन्दवाड़ा/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति
12 जिला छिन्दवाड़ा.

छिन्दवाड़ा दिनांक 22/07/2021

क्रमांक / 2452 / वनाधिकार / जजाकावि. / 2021

- प्रतिलिपि:-1- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा।
मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा वनवृत्त छिन्दवाड़ा।
वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वन मंडल छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जुन्नारदेव की ओर सूचनार्थ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ओर सूचनार्थ।
सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत खुमकाल विकास खंड जुन्नारदेव की ओर सूचनार्थ।




कलेक्टर छिन्दवाड़ा/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति
12 जिला छिन्दवाड़ा.